BIJNOR POLICE

साइबर थाना

माह मार्च – 2024

साइबर थाना जनपद बिजनौर के द्वारा माह मार्च – 2024 में 04 व्यक्तियों से हुई ऑनलाइन रुपयों की धोखा-धडी मे कुल 1,42,694/- रुपये वापस कराये गये।

साइबर थाना जनपद बिजनौर द्वारा निम्न शिकायतों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरूप पीड़ितों के बैंक खातों से निकाले गये रुपयों को वापस कराया गया। रुपये वापस मिलने पर पीड़ितों द्वारा बिजनौर पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र0सं0	थाना	प्रा0पत्र सं0/ मु0अ0सं0	बरामद धनराशि
1	कोतवाली शहर	शिकायत संख्या - 30/2024	30,000/-
2	कोतवाली शहर	NCRP संख्या – 31653	50,000/-,
3	नूरपुर	NCRP संख्या – 21167	20,000/-
4	कोतवाली देहात	NCRP संख्या – 39545	42,694/-
कुल योग			**1,42,694/- रुपये**

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना हल्दौर दिनॉक 02.04.2024

थाना हल्दौर पुलिस ने अभियुक्त को 02 किलोग्राम अवैध डोडा चूर्ण सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण–

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं नशीले पदार्थो के विक्रय/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध नशीले पदार्थो की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.04.2024 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त अतीक पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम महमदाबाद थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को 02 किलोग्राम अवैध डोडा चूर्ण सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 108/24 धारा 8/15 एनडीपीएस अधि0 पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.अतीक पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम महमदाबाद थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण–

1– 02 किलोग्राम अवैध डोडा चूर्ण।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 श्री श्रीपाल यादव थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

2–मु0आरक्षी 677 प्रदीप कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

3–आरक्षी 386 सोहित कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

4–आरक्षी 1389 ओमवीर सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना धामपुर दिनॉक 02.04.2024

थाना धामपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 149/24 धारा 380/411 भादवि से संबंधित दो अभियुक्तों को चोरी गयी नगदी सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 02.04.2024 को वादी नवनीत सिंह चौहान पुत्र श्री दिनेश पाल सिंह नि0 ग्राम हकीमपुर मेघा उर्फ मेघावाला थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.विमल पुत्र विरेन्द्र सिंह नि0 ग्राम जाफराबाद थाना रेहड जनपद बिजनौर 2.राहुल पुत्र रोहिताश सिंह नि0 ग्राम मिलक भज्जावाला थाना धामपुर जनपद बिजनौर 3.योगेन्द्र पुत्र ऋषिपाल नि0 जसपुर जनपद उधमसिंह नगर बिजनौर द्वारा वादी की दुकान में घुसकर दुकान के गल्ले से लगभग 50–55 हजार रूपये चोरी कर लिये। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 149/24 धारा 380/411 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.04.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 149/24 धारा 380/411 भादवि से संबंधित अभियुक्तगण 1.विमल पुत्र विरेन्द्र सिंह नि0 ग्राम जाफराबाद थाना रेहड जनपद बिजनौर 2.राहुल पुत्र रोहिताश सिंह नि0 ग्राम मिलक भज्जावाला थाना धामपुर जनपद बिजनौर को चोरी गये 10150/– रूपये नगदी सहित गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्त योगेन्द्र उपरोक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.विमल पुत्र विरेन्द्र सिंह नि0 ग्राम जाफराबाद थाना रेहड जनपद बिजनौर

2.राहुल पुत्र रोहिताश सिंह नि0 ग्राम मिलक भज्जावाला थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण–

1– 10150/– रूपये नगदी।

आपराधिक इतिहास–

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विमल उपरोक्त–

1.मु0अ0सं0 149/24 धारा 380/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 500/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
3.मु0अ0सं0 531/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
4.मु0अ0सं0 631/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त राहुल उपरोक्त–</u>

1.मु0अ0सं0 149/24 धारा 380/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
1.मु0अ0सं0 309/23 धारा 188 भादवि थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 02.04.2024**

जनपदीय पुलिस द्वारा 10 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 10 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	चांदपुर	साजिद पुत्र सद्दीक नि0 मौ0 चिम्मन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2	चांदपुर	मकसूद पुत्र अय्यूब नि0 मौ0 शाहचन्दन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3	हीमपुर दीपा	मतलूब पुत्र बशीर नि0 ग्राम रेहरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
4	रेहड	हनीफ पुत्र छुट्टन नि0 ग्राम मोहिद्दीनपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर
5	मण्डावर	औतारी पुत्र गोपी नि0 ग्राम देवलगढ थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
6	मणडावर	अनिल पुत्र सुरेन्द्र सिंह नि0 ग्राम केवलपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
7	मण्डावर	सुरेन्द्र पुत्र बृह्मपाल नि0 ग्राम दयालवाला थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
8	शिवाला कलां	रविदत्त शर्मा पुत्र नत्थूराम नि0 ग्राम रामौरुपपुर थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर
9	मण्डावली	कैलाश पुत्र जबरे नि0 ग्राम हकीमपुर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।
10	को0 शहर	रियासत पुत्र अजीजशाह नि0 ग्राम रामपुर बकली थाना को0 शहर जनपद बिजनौर

थाना चांदपुर

थाना हीमपुर दीपा

थाना रेहड

थाना मण्डावर

थाना मण्डावर

थाना शिवाला कलां

थाना मण्डावली

थाना को0 शहर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना कोतवाली देहात दिनॉक 02.04.2024

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 76/24 धारा 307/323/506 भादवि में वांछित दो अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 31.03.2024 को वादी श्री कृष्ण कुमार पुत्र बलवीर सिंह नि0 ग्राम फत्तनपुर थाना को0देहात जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.भानू सिंह 2.यशमोहन पुत्रगण नौबहार सिंह नि0 ग्राम फत्तनपुर थाना को0देहात जनपद बिजनौर व एक अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी को जान से मारने की नियत से लाठी डण्डो व धारदार हथियार से हमला किया जिससे वादी घायल हो गया और अभियुक्तण ने वादी को जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 76/24 धारा 307/323/506 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 504 भादवि की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.04.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 76/24 धारा 307/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1. यशमोहन उर्फ मोनू 2.भानू उर्फ भानूप्रताप पुत्रगण नौबहार सिंह नि0गण ग्राम फत्तनपुर थाना को0देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध चाकू बरामद किया गया। अवैध चाकू बरामदगी के संबंध में अभियोग में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.यशमोहन उर्फ मोनू पुत्र नौबहार सिंह नि0गण ग्राम फत्तनपुर थाना को0देहात बिजनौर
2.भानू उर्फ भानूप्रताप पुत्र नौबहार सिंह नि0गण ग्राम फत्तनपुर थाना को0देहात बिजनौर

आपराधिक इतिहास–

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मोहन उर्फ मोनू उपरोक्त–

1.मु0अ0सं0 76/24 धारा 307/323/504/506 भादवि व 3/25 शस्त्र अधि0 थाना को0देहात

2.मु0अ0सं0 338/23 धारा 307/323/325/506 भादवि थाना कोतवाली देहात

3.मु0अ0सं0 238/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना कोतवाली देहात

आपराधिक इतिहास अभियुक्त भानू उपरोक्त–

1.मु0अ0सं0 76/24 धारा 307/323/504/506 भादवि व 3/25 शस्त्र अधि0 थाना को0देहात

2.मु0अ0सं0 338/23 धारा 307/323/325/506 भादवि थाना कोतवाली देहात

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1– उ0नि0 श्री इन्देश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

2– उ0नि0 श्री मोहित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

3– हे0का0 627 राजीव थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

4– हे0का0 644 हिमांशू शर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट–जनपद बिजनौर   दिनॉक 02.04.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना हीमपुर दीपा पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने वाले अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 40,000/– रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाहीः–

दिनांक 30.09.2019 को वादी श्री धर्मवीर सिंह पुत्र छतरपाल सिंह नि0 ग्राम पिलाना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर के पौत्र की अभियुक्त सूरज पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम पिलाना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर देने के संबंध में थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 239/2019 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 02.04.2024 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0–06 जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त सूरज पुत्र हरपाल सिंह नि0 ग्राम पिलाना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को उपरोक्त अभियोग में आजीवन सश्रम कारावास व 40,000/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः–

1.सूरज पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम पिलाना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

घटना के संबंध में तत्समय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें।

पीपलसाना में मासूम की हत्या

दरांती से गर्दन काट डाला, सिरफिरे से सनक में की वारदात

अमर उजाला ब्यूरो

बिजनौर। एक सिरफिरे ने सोमवार को गांव में खेल रहे तीन साल के एक मासूम की सनक में दरांती से गर्दन काटकर उसे मार डाला। मासूम का कोई कसूर नही था। मासूम की हत्या के बाद आरोपी भाग निकला। गांव वालों ने पुलिस के साथ पीछा करके उसे दबोच लिया। आरोपी नशा करने का आदी है।

हीमपुर थाने के गांव पीपलसाना निवासी रवि कुमार का तीन साल का पुत्र आयुष बच्चों के साथ सोमवार के गांव में घर के बाहर खेल रह था। पुलिस के मुताबिक शाम करीब चार बजे गांव का ही सूरज का पुत्र हरपाल जंगल से काम करके लौट। उसने खेल रहे मासूम आयुष को पकड़कर दरांती से उसकी गर्दन काट दी व फरार हो गया। मासूम ने तड़पकर मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना को अंजाम देने के बद आरोपी फरार हो गया। पुलिस व गांव के लोगों के साथ सूरज के पिता भी उसे पकड़ने के लिए दौड़े। भागते समय उसे दबोच लिया व पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। गांव वालों के मुताबिक सूरज भांग व शराब क नशा करता है। वह सनकी लगता है। सूरज की शादी नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक 22 साल के सूरज ने सनकीपन में इस घटना को अंजाम दिया है।

सूरज नशे में अपने घर में आग भी लगा चुका है। पुलिस सूरज से पूछताछ करने में जुटी है। एसपी सिटी लक्ष्मी निवास मिश्र के मुताबिक सूरज नशा करने क आदी है। नशे में ही उसने यह हत्या की है।

आयुष का फाइल फोटो।

मासूम का हत्यारोपी सूरज

दूसरे मासूम को मारना चाहता था सूरज

सनकी सूरज ने हत्या करने के लिए पहले गांव के एक अन्य मासूम को पकड़ा था। वह तो सूरज से अपना हाथ छुड़ाकर भाग गया। इसके बाद सूरज ने आयुष को पकड़कर उसकी गर्दन काट दी। गर्दन काटते वक्त उसे मासूम पर जरा भी तरस नहीं आया। पहला बच्च हाथ छुड़ाकर नहीं भागता तो सूरज उसे भी मर डालता ।

मासूम की हत्या के बाद विलाप करते परिजन। अमर उजाला

हत्या के बाद मौके पर जमा भीड़ और पुलिस। अमर उजाला

ढाई वर्षीय बालक की गला रेतकर हत्या

आरोपित ने दूसरे बालक को भी पकड़ने का किया प्रयास, मशक्कत के बाद आरोपित को किया गिरफ्तार

संसू, हीमपुर दीपा (बिजनौर) : क्षेत्र के गांव पिलाना में एक नशेड़ी युवक ने ढाई वर्ष के मासूम की धारदार हथियार से गला रेतकर नृशंस हत्या कर दी। मासूम के साथ खेल रहे दूसरे बालक की भी हत्या का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

आयुष ● फाइल फोटो

गांव पिलाना में सोमवार की शाम करीब चार बजे अनुसूचित बस्ती निवासी रवि का ढाई वर्षीय पुत्र आयुष और निखिल (5 वर्ष) पुत्र ओमेंद्र रविदास मंदिर (कुटी) के पास खेल रहे थे। इस बीच पड़ोस का ही सूरज पुत्र हरपाल सिंह ने आयुष को दबोच लिया और धारदार हथियार से उसका गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। उसने निखिल को भी पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भाग निकला। घटना को अंजाम देकर आरोपित भाग गया। सीओ राकेश श्रीवास्तव चांदपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद त्यागी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के परिजनों के अनुसार उसकी किसी से रंजिश नहीं है। सीओ ने बताया कि हत्यारोपी गांजा-सुल्फा, भांग व शराब आदि का सेवन करता है। ग्रामीणों के अनुसार सूरज कई बार अपनी झोपड़ी में भी आग लगा चुका है। वह नशा करने के साथ-साथ सुल्फा बेचने का काम भी करता है।

पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपित सूरज ●

गांव पिलाना में मासूम आयुष की हत्या के बाद विलाप करते परिजन ● जागरण

हीमपुर दीपा में गर्दन काटकर बच्चे की हत्या

हीमपुर दीपा | **हमारे संवाददाता**

गांव पिलाना में एक सिरफिरे और नशेड़ी युवक ने ढाई साल के मामूम बालक की गला काटकर हत्या कर दी। बच्चों के साथ खेल रहे बालक को आरोपी जबरन खींच ले गया था। लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। पुलिस ने गांव पहुंचकर मौका मुआयना किया। आरोपी नशेड़ी सूरज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव पिलाना निवासी रवि का ढाई वर्षीय आयुष गांव में ही धर्मशाला के पास खेल रहा था। आयुष के साथ उपेंद्र का चार वर्षीय बेटा निखिल भी खेल रहा था। आरोप है, कि करीब चार बजे गांव ही नशेड़ी युवक सूरज पुत्र हरपाल वहां आया और आयुष को खींच ले गया। कुछ ही दूर ले जाकर आरोपी ने आयुष की धारदार हथियार से गर्दन रेत दी। इससे मासुम की मौके पर ही मौत हो गई। पास ही मौजूद महिलाओं ने यह देखकर शोर मचा दिया।

शोर मचने पर आरोपी मौके से भाग निकला। परिजन और ग्रामीण घटनास्थल पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। मासूम की

हीमपुर दीपा के गांव पिलाना में बच्चे की हत्या पर विलाप करते परिजन।

लाश देख परिवार वालों में लोगों की भीड़ ने आरोपी को पकड़ने के लिए खेतों में कांबिंग भी की और आरोपी सूरज को पकड़कर जमकर पीटा और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने मौका मुआयना किया। बच्चे के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस को ग्रामीणों के विरोध और गुस्से का भी सामना करना पड़ा।

थाना प्रभारी विनोद कुमार त्यागी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज बताया रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

...तो दोनों ही मासूमों को मारना चाहता था नशेड़ी: हीमपुर दीपा। हीमपुर दीपा के पिलाना गांव में नशेड़ी युवक ने ढाई साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया, जबकि उसका मकसद दो बच्चों की हत्या करने का था। इसका अंदाजा

आयुष का फाइल फोटो।

हत्या करने का आरोपी सूरज

इसी बात से लगाया गया कि वह दो बच्चों को खींच कर ले जा रहा था, लेकिन एक बच्चा हाथ छुड़ाकर भाग गया।

सोमवार की शाम चार बजे निखिल और आयुष खेल रहे थे। चार साल के निखिल पुत्र उपेंद्र ने लोगों ने बताया कि नशेड़ी उन दोनों को खींच कर ले जा रहा था, लेकिन वह हाथ छुड़ाकर भाग आया। निखिल ने घर पहुंचकर सारी बात बताई तो गांव वाले घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। जब तक गांव वाले घटनास्थल पर पहुंचे तो आयुष को मौत के घाट उतार दिया गया था। खून से लथपथ उसकी लाश पड़ी हुई थी। ग्रामीणों ने अनुमान लगाया कि अगर निखिल हाथ छुड़ाकर नहीं भागता तो वह दोनों ही बालकों को मौत के घाट उतार देता।